राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 293/2014

1. छीतरमल यादव (मृतक राज्य कर्मचारी) **–अपीलार्थी**

1/1 श्रीमती आदोही देवी पत्नी श्री छीतरमल यादव

1/2 श्री रामकुमार यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव

1/3 श्री रामगोपाल यादव पुत्र श्री छीतरमल यादव

1/4 श्रीमती सूरज देवी पुत्री श्री छीतरमल यादव

1/5 श्रीमती चन्दा देवी पुत्री श्री छीतरमल यादव

बनाम

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. तहसीलदार, चौमू।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.03.2014
आदेश की दिनांक : 31.01.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील राज्य कर्मचारी श्री छीत्तरमल यादव की मृत्यु होने के पश्चात उनके वारिसान की तरफ से यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिसमें प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से पारिवारिक पेंशन अपीलार्थी संख्या–1 श्रीमती आदोही देवी, जो मृतक राजकीय कर्मचारी की पत्नी है, को स्वीकृत करने और ग्रेच्यूटी का भुगतान नियमानुसार सभी वारिशान को आनुपातिक रूप से भुगतान करने और भुगतान में विलंब पर 9 प्रतिशत ब्याज का लाभ दिलाने का अनुतोष चाहा गया है। अपील के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी पटवारी के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी के विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ एवं इसके लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी दिनांक 30.01.1998 को सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी को प्रोविजनल पेंशन स्वीकार की गई, जिसमें यह नोट अंकित किया गया कि पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य नहीं है (अनुलग्नक–1)। आपराधिक प्रकरण लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की दिनांक 14.08.2013 को मृत्यु हो गई, जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध लंबित आपाराधिक प्रकरण में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौमू जिला जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 01.02.2014 द्वारा कार्यवाही ड्रोप की गई। अब चूंकि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं रहा है। प्रोविजनल पेंशन का भुगतान दिनांक 14.08.2013 तक किया गया है।

उसके बाद भुगतान को रोक दिया गया था। अपीलार्थी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण में कोई सजा नहीं हुई है। अतः इस आधार पर अपील स्वीकार की जाकर छीत्तरमल यादव की पत्नी को पारिवारिक पेंशन और उसके सभी वारिसान को ग्रेच्यूटी का भुगतान समान रूप से किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण लम्बित होने के कारण सेवानिवृत्त होने पर प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गई है और उसका भुगतान राज्य कर्मचारी के जीवित रहने तक किया जा चुका है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी प्रोविजनल पेंशन का भुगतान रोक दिया गया है तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्यूटी देय नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि मृत राज्य कर्मचारी श्री छीतरमल यादव के विरूद्ध सेवानिवृत्त के समय आपराधिक प्रकरण लम्बित होने से प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गई थी। उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण उसकी मृत्यु के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा ड्रोप किया जा चुका है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है, जिसमें कोई विभागीय जांच/कार्यवाही में अपीलार्थी की पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्यूटी रोकने का दण्डादेश दिया गया है। अतः अपीलार्थी के वारिसान नियमानुसार पारिवारिक पेंशन और बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभ प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि मृतक राज्य कर्मचारी के वारिसान की सम्यक् जांच कर नियमानुसार पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जावे और ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जावे और विलंब से भुगतान किये जाने पर सेवानिवृत्ति परिलाभों पर 9 प्रतिशत ब्याज भुगतान किया जावे। उक्त आदेश की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य